रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 24, 1991/वैशाख 4, 1913
No. 88] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 24, 1991/VAISAKHA 4, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 147-आईटीसी (पीएन) 90--93

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1991

विषय : — जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) द्वारा विस्तारित गांधार गैस बेस्ड कम्बाइंड साइकिल पॉवर प्रोजेक्ट (1) के लिए 13.046 बिलियन येन के लिए 27-3-90 के येन क्रेडिट ऋण सं. आईडीपी-63 के अन्तर्गत उपकरण और सेवाओं के आयात के संबंध में लाइसेंसिंग शर्तें।

[फाइल सं. आईपीसी/23 (72)/90-93: --जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) द्वारा विस्तारित गांधार गैस बेस्ड कम्बाइंड साइकिल पॉवर प्रोजेक्ट (1) के लिए 13.046 बिलियन येन के लिए येन क्रेडिट ऋण के अन्तर्गत उपस्कर और सेवाओं के आयात की लाइसेंसिंग शर्तों पर लागू होने वाली शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है जिन्हें सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है।

डी.आर. मेहता, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 147/आईटीसी (पीएन) 90--93, दिनांक 24-4-91 का परिशिष्ट।

जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ.ई.सी.एफ.) द्वारा विस्तारित गांधार गैस बेस्ड कम्बाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट 13.046 बिलियन येनके लिए 27-3-90 के येन क्रेडिट ऋण सं. आई डी पी-63 के अंतर्गत उपस्कर और सेवाओं के आयात के संबंध में लाइसेंसिंग शर्तें।

खण्ड-1 सामान्य शर्तें

1(1) एनटीपीसी की गांधार गैस बेस्ड कम्बाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट (1) की आयात आवश्यकता के वित्त दान के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ.ई.सी.एफ.) द्वारा प्रदान किये गये 13.046 बिलियन येन का ऋण जापान और विकासशील देशों जिनमें भारत और ओ.ई.सी.डी. के सभी सदस्य देश शामिल हैं, के लिए खुला है। तदनुसार इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबन्ध-1 की सूची में उल्लेखित सभी देशों से (भारत सहित) आयात की जा सकती है। ये देश इस ऋण के अंतर्गत पात्र स्रोत देश होंगे।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशालय, तकनीकी विकास पूंजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से सिफारिश कर दी गई हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस का मूल्य 14.350 बिलियन येन (लागत बीमा भाड़ा) से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रुपये में मूल्य राजस्व विभाग (सीमाशुल्क) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं. 78—आई टी सी (पीएन) 74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतिक दर पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि सीमाशुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सों) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर मूल्य को लाइसेंस मूल्य के नामे डालेगा। लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण सं. आई बी पी-63" होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस जे सी" कोड होगा। यह एनटीपीसी को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात के पत्र में भी दुहराया जाएगा। जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (जापान) अनुभाग को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1(3) आयात लाइसेंस केवल एन.टी.पी.सी. के पक्ष में जारी किये जा सकते हैं।

1(4) आयातक की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन कुल मूल्य 14.350 बिलियन (लागत बीमा भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (2) में कहा गया है।

1(5) आयातक लाइसेंस की वैधता में आयातक द्वारा आवेदन करने पर 12 महीनों की और आगे की अवधि के लिए वृद्धि दी जा सकती है। आगे और वृद्धि करने के लिए नया आयात लाइसेंस जारी करने के लिए यदि कोई आवेदन हो तो उसे वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजा जाना चाहिए।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्तपान किए जाने वाले आयात/आयात लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित संलग्न माल और सेवाओं की सूची तक प्रतिबंधित है।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(8) पक्के आदेश अनुबन्ध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत बीमा-भाड़ा/लागत और भाड़ा मूल्य के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर वित्त कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। सीमा प्रभार का भुगतान भारत में भारतीय रुपये में देय होगा।" पक्के आदेशों का अर्थ भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्रय संविदा हो। विदेशी संभरकों द्वारा भारतीय अभिकर्ताओं को दिए गए आदेश या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों को इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को नहीं पहुंच जाते हैं।

यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा-उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले को पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे। जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्राप्त करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों को पूर्ण करने के संबंध में साख-पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र और तुल्य रुपया जमा करने आदि की स्वीकृति आदि की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति के चार महीने के भीतर सभी भुगतान पूर्ण करने देने चाहिए। माल के पोतलदान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित व्यवस्था होनी चाहिए :—

"साखपत्र की प्राप्ति के बाद————————महीने परंतु अधिक से अधिक————————के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-10-1994 के बाद की न हो।

खण्ड- 2 संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें।

2(1) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क/लागत सीमा भाड़ा मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो, तो वह शामिल नहीं होना चाहिये जो कि भारतीय रुपये में चुकाना चाहिए।

संविदा का मूल्य येन में (या भारतीय संभरकों के मामले में भारतीय रुपये में) अभिव्यक्त होना चाहिए। क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) ऋण की रकम से वित्त पोषित किए जाने वाले सभी माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के अंतर्गत अधिप्राप्ति के लिए मार्ग-दर्शन सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित सम्पूरक शर्तों के साथ की जाएगी :—

(क) कम से कम 500 मिलियन येन के अनुमानित मूल्य के माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के मामले में :—

(1) यदि पूर्व अर्हता सहित औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न अधिप्राप्ति क्रियाविधि अपनाने का प्रस्ताव है तो अधिप्राप्ति की पद्धति के अनुमोदन के लिए ओ.ई.सी.एफ. को आवेदन पत्र प्रस्तुत करके उससे पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(2) सफल बोलीकार को निर्णय का नोटिस जारी करने से पहले बोली मूल्यांकन रिपोर्ट सहित निर्णय के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र ओ.ई.सी.एफ. को प्रस्तुत किया जाएगा। निर्णय और बोली मूल्यांकन के अनुमोदन के लिए उपर्युक्त आवेदन-पत्र के साथ-साथ पूर्व अर्हता की मूल्यांकन रिपोर्ट, बोलीकारों को दिए गए नोटिस और अनुदेश बोली प्रपत्र, प्रस्तावित ठेका विशिष्टिकरण और ड्राइंग और बोली से संबंधित अन्य दस्तावेज ओ.ई.सी.एफ. को भी पुनरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ख) 500 मिलियन येन से कम अनुमानित मूल्य के माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के मामले में ठेके के निर्णय के ओ.ई.सी.एफ. के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि ओ.ई.सी.एफ. अनुरोध करें तो निविदा मूल्यांकन रिपोर्ट आदि उसको पुनरीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएंगी

(ग) अगर परामर्शदात्री फर्मों का नियोजन किया जाए तो ऐसी फर्मों को निम्नलिखित शर्तें पूरा करनी होंगी :—

(1) दिए गए अधिकांश शेयरों के धारक पात्र स्रोत देशों के नागरिक होने चाहिए।

(2) अधिकांश पूर्णकालिक निदेशक पात्र स्रोत देशों के नागरिक होने चाहिए।

(3) ऐसी फर्में पात्र स्रोत देशों में निगमित तथा पंजीकृत होनी चाहिए।

(घ) परामर्शदाताओं के नियोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के संबंध में भी ओ.ई.सी.एफ. का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाए :—

(1) शर्तें

(2) परामर्शदाताओं की संक्षिप्त सूची

(3) निमंत्रण पत्र

(4) संक्षिप्त मूल्यांकन शीट सहित मूल्यांकन रिपोर्ट।

(ङ) प्रत्येक ठेके के साथ परामर्शदाता की पात्रता के संबंध में परामर्शदाता के हस्ताक्षर तथा तारीख सहित निम्नलिखित घोषणा संलग्न होनी चाहिए :—

"मैं अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि ..... (फर्म का नाम) ..... (संबंधित पात्र स्रोत देश का नाम) में निगमित और पंजीकृत है, और एक पात्र परामर्शदात्री फर्म है जिसके ..... प्रतिशत (%) समर्थित शेयरों के धारक ..... (संबंधित पात्र स्रोत देशों का नाम) के राष्ट्रिक हैं और ..... प्रतिशत (%) पूर्ण कालिक निदेशक ..... (संबंधित पात्र स्रोत देशों के नाम) के राष्ट्रिक है।"

(च) आयातक उपर्युक्त क (1), क (2), ख और घ में उल्लिखित आवेदन-पत्र/दस्तावेज आर्थिक कार्य विभाग को दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा जो उसके द्वारा ओ.ई.सी.एफ. को भेजे जाएंगे।

2(3) विदेशी संभरक को भुगतान, उनके नाम में बैंक आफ इंडिया टोकियो द्वारा 1989-90 के लिए ओ.ई.सी.एफ. येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) संख्या आईडीपी-63 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका ब्यौरा नीचे खण्ड-7 में दिया गया है।

2(4) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए। लेकिन कुछ विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है। जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2(5) संभरक की पात्रता।

संभरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक या पात्र स्रोत देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए वैध व्यक्ति होंगे। जिसके पास पात्र-स्रोत देशों में माल तथा सेवा के उत्पादन या उन्हें प्रदान करने की उपयुक्त सुविधा हो और जो वहां वास्तव में अपना कार्य व्यापार चलाते हों।

2(6) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसके लिए वित्तदान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार ऐसे उत्पाद की प्रति यूनिट का मूल्य मददगार आधार पर आयातित भाग के 50% से कम हो :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयात शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य}} \times 100$$

(भारतीय संभरकों के संबंध में एक्स फैक्टरी मूल्य अपनाया जाएगा)

2(7) संविदा में घोषणा :

प्रत्येक संविदा में संभरक द्वारा माल एवं संभरक की पात्रता और संभरक के हस्ताक्षर और तारीख से निम्नलिखित घोषणा जोड़ी जाएगी :—

"मैं अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया जाने वाला माल ..... (संबंधित पात्र स्रोत देश का नाम) में उत्पादित है।"

"मैं अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार पात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 50% से कम है :

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयात शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (जहां एक्स-फैक्टरी मूल्य लागू हो)}} \times 100$$

"मैं अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि (कम्पनी का नाम ..... (पात्र स्रोत देश का नाम) ..... में समाविष्ट और पंजीकृत है और उसके पास (पात्र स्रोत देशों का नाम) में माल तथा सेवा के उत्पादन या उन्हें प्रदान करने की उपयुक्त सुविधा है और वह वहां वास्तव में अपना कार्य व्यापार चलाती है।"

खण्ड-3 संभरण ठेकों में निम्नलिखित समाविष्ट की जाने वाली शर्तें।

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए।

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) के बीच एनटीपीसी की गांधार गैस बेस्ड कम्बाइंड साइकिल पॉवर प्रोजेक्ट (1) के लिए येन क्रेडिट सं. आईडीपी-63 (परियोजना सहायता) से संबंधित 27 मार्च, 1990 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेश आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) के बीच येन क्रेडिट सं. आईडीपी-63 से संबंधित 27-3-90 को हुए ऋण समझौते

के अंतर्गत बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ.ई.सी.एफ. द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हों।

(घ) 2(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र (तीन प्रतियों में)।

(ङ) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरक संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए या भारतीय दूतावास, टोकियो को शामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत कराएगा और पोतलदान से कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में जहां भारतीय आयातक इच्छुक हो, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक को प्रत्येक पोतलदान के पश्चात आवश्यक ब्यौरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड—4 ओ. ई. सी. एफ. द्वारा ठेके की पुनरीक्षा।

4(1) लाईसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आयातक और विदेशी संभरकों दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरको द्वारा लिखित में पुष्टि आदेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत और वैध आयात लाईसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित और अनुबन्ध–2 के प्रपत्र में "प्राधिकार पत्र" जारी करने के लिए आवेदन की दो प्रतियां आर्थिक कार्य विभाग को भेजनी चाहिए।

4(2) उपर्युक्त क्रियाविधि ठेकों की विषयवस्तु या उनकी कीमतों में होने वाले ऐसे सभी संशोधनों पर भी लागू हो जिसके कारण अनिवार्य रूप से आशोधन करने पड़े।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ठेके की एक प्रति के साथ ठेके के निर्णय का नोटिस समीक्षा के लिए ओ. ई. सी. एफ को भेजेगा। आयात लाईसेंस की फोटो कापी और "प्राधिकार पत्र" जारी करने के लिए आवेदन की प्रति सहित ठेके के निर्णय के नोटिस और ठेके की एक-एक प्रति आर्थिक कार्य विभाग भारतीय दूतावास, टोकियो और सी. ए. ए. एण्ड ए के कार्यालय को भेजेगा।

खण्ड 5—विदेशी संभरकों को भुगतान साख पत्र क्रिया विधि।

5(1) वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग से ठेके के निर्णय का नोटिस और ठेके से दस्तावेज प्राप्त होने पर सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक बैंक आफ इंडिया को टोकियो शाखा को सम्बोधित संलग्न अनुबन्ध–3 में दिए गए प्रपत्र में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा जिसमें बैंक आफ इंडिया की टोकियो ब्रांच संबद्ध विदेशी संभरक के नाम में संलग्न अनुबन्ध–4 (आयातों के लिए) के प्रपत्र में या अनुबन्ध–5 (सेवाओं के लिए) के प्रपत्र में एक अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलेगी। प्राधिकार पत्र की प्रतिया ओ. ई. सी. एफ. भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएगी।

5(2) प्राधिकार पत्र मिलने पर भारतीय बैंक, टोकियो अनुबन्ध–4 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या अनुबन्ध –5 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ. ई. सी. एफ.) भारतीय दूतावास, टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

सी. ए. ए. एण्ड ए. से प्राधिकार पत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी प्राधिकार पत्र/साखपत्रों के संशोधन पर स्वतः लागू होगी।

5(3) माल का पोतलदान कराने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साखपत्र में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा जो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साखपत्र खोलने, उसके अधीन लेनदेन करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंकिंग प्रभार और विदेशी संभरक के बैंकिंग प्रभार, यदि कोई हों, तो वे आयातक विदेशी संभरक द्वारा वहन किए जाएंगे।

ओ. ई. सी.

ओ. ई. सी. एफ ठेके के मूल्य के 1/10 प्रतिशत (0.1 प्रतिशत) मूल्य के बराबर धनराशि प्राप्त करने पर वचनबद्धता पत्र जारी करेगा। यह धनराशि ओ. ई. सी. एफ. द्वारा स्वयं ऋण/निधियों में से चुकाई जाएगी।

ओ. ई. सी. एफ या सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय से भुगतान की सूचना प्राप्त होने पर आयातक को वचनबद्धता पत्र के खर्चों के तुल्य धनराशि सरकारी लेखे में जमा करनी होगी। ओ. ई. सी. एफ. को भुगतान की तिथि से रुपया जमा करने की तिथि तक (दोनों तिथिया शामिल करके) ब्याज भी प्रचलित दर पर आयात द्वारा चुकाया जाएगा।

आयातक द्वारा प्रतिपूर्ति क्रिया विधि के तहत 0.1 प्रतिशत की इसी प्रकार का खर्चा चुकाया जाना है। आयातकों द्वारा आयातों के लागत के भुगतान की तिथि से ओ. ई. सी. एफ. द्वारा विदेशी संभरक को अदायगी की तिथि तक की अवधि के लिए गणना करके बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय ब्याज प्रभार का भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत में संबद्ध आयातकों के बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया टोकियो, को धन परेषण करके भुगतान किया किया जाएगा।

5(5) प्रतिपूर्ति क्रियाविधि

भारतीय संभरकों से माल और सेवाओं की खरीद के लिए ऋण की रकम की संवितरण के लिए क्रियाविधि ऋण समझौते से संबद्ध प्रतिपूर्ति क्रियाविधि के अनुसार होगी।

खण्ड–6 रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

6(1) बैंक आफ इंडिया, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतिक अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंकर को पराक्राम्य पोत परिवहन दस्तावेज रिलीज होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक तीस हजारी दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है। विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपये पर ब्याज प्रभार प्रथम 30 दिन के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष है और अधिक अवधि के लिए 18% प्रतिवर्ष है, पर विदेशी संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रूप से रुपया जमा करने की तिथि तक का हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना 31 मई टी सी (पी. एन) 83, दिनांक 19-9-1983 के अनुसार मूल भुगतान के साथ-साथ ब्याज प्रभार भी सरकारी लेखे मे जमा कराना है। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि ब्याज दोनों दिनों के लिए अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं. 103 – आई. टी. सी. (पी एन)/ 76 दिनांक 12-10-76 और

सार्वजनिक सूचना सं. 31—आई. टी. सी. (पी. एन.) 83 दिनांक 10-8-1983 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई.टी.सी. (पी. एन.)/74 दिनांक 31-5-74।

संभरक को किए जाने वाले भुगतानों की राशि और तारीख का सुनिश्चय करने के लिए आयातक को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो से आयातक के बैंक द्वारा पोत परिवहन आदि दस्तावेजों की देरी या विलम्ब से प्राप्ति को रुपया निक्षेप पर लगने वाले ब्याज की आंशिक या पूर्ण धनराशि को समाप्त करने का कारण नहीं माना जाएगा।

विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपये की गणना के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनियम की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं. 113 आई. टी. सी (पी. एन.) 88-91 दिनांक 6-4-89 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो अथवा जो मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रक परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो।

इस संबंध में और ब्याज की दर के संबंध में भी जब भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करना भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी है। आयातक को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि देय धनराशि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। देय धनराशि सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए आयातक की सब भी जिम्मेदारी होगी जब वे विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त करते है। यदि आयातक सरकार की देय धनराशि को माल की सुपुर्दगी लेने से पहले जमा नहीं कर पाता तो आगे के लिए उसे प्राधिकार पत्र देना बन्द कर दिया जाए और मामले की रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को दी जाए ताकि ऐसे आयातक को आगे और आयात लाईसेंस जारी न किए जाएं। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाए वह "के डिपाजिटस एण्ड ऐडवान्सिज-8443-सिविल डिपाजिटस-डिपाजिटस फार परचेजिंग एटसट्रा अनाइड परचेज अण्डर क्रेडिटस/लोन एग्रीमेंटस" लोन फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान 13.04 बिलियन येन क्रेडिट सं. आई डी पी - 63 फार दी गोधार गैस बेस्ट कम्बाईण्ड साईकिल पावर प्रोजेक्ट (i) होना चाहिए।

6(2) उपर उल्लिखित धनराशि या भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में चालान के उपर दाहिनी ओर कोने में कोड सं. 5130000009 का संकेत देते हुए सरकार के खाते में इस संबंध में समय-समय पर जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं में यथा निर्धारित तरीके से जमा होना चाहिए।

6(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर भारत में आयातक का संबंध बैंक भी उपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई. टी. सी. (पी एन./ 71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "अन्य परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते है।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

उसके पश्चात सी. ए. ए. एण्ड ए. द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का सन्दर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रूपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी. ए. ए. एण्ड ए. को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपये का निक्षेप भारतीय बैंक टोकियो से अदायगी की सूचना और पराक्राम्य पोतलदान दस्तावेज की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया गया है और यह कि उसके तत्काल बाद सी.ए.ए.एण्ड. ए. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को तथ्य से सूचित कर दिया गया है।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाईसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड - 7 विविध व्यवस्थाएं

7(1) आयात लाईसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक को पोतलदान और उनके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साक्षपत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय बी विंग, 5वा तल, जनपथ भवन, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

7(2) संभरकों को विशेष शर्तों के बारे में सूचित करना

लाईसेंसधारी के आयात लाईसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबन्धों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने में संभरक पर प्रभाव डालते हो।

7(3) यह समझ लेना चाहिए कि लाईसेंसधारी और संभरको के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबन्ध- 2 में "भुगतान की शर्तों" के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद को निपटाने से संबंधित शर्तें शामिल होनी चाहिए।

7(4) भावी अनुदेश

आयात लाईसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौता (परियोजना सहायता) सं. आई डी पी - 63 के अधीन सभी आभारों को विदेशी आर्थिक सहयोग निधि, जापान (ओ. ई. सी. एफ.) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए निदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

7(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जाएगी।

7(6) अनुबन्धों की सूची

1. अनुबन्ध—1 पात्र स्रोत देशों की सूची।
2. अनुबन्ध - 2 प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध।
3. अनुबन्ध - 3 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र।
4. अनुबन्ध - 4 साक्षपत्र का प्रपत्र (आयातों के लिए लागू)
5. अनुबन्ध - 5 साक्षपत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)।

उपाबंध--1

पात्र स्रोत देशों की सूची

क. विकासशील देश और क्षेत्र

(क-1) विशेष आर्थिक सहयोग में भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा
   मिस्र
   मोरक्को
   तुनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा
   अंगोला
   बेनिन
   बोत स्वाना
   बरून्डी
   केमरोन
   कैप वर्डे द्वीप
   मध्य अफ्रीका गणतंत्र
   चाड
   कोमारों आईलैण्ड
   कांगो, दाहोमें का गणतंत्र
   इक्वेटोरियल गिनी 1)
   इथोपिया
   जाम्बिया
   घाना
   गिनी
   आईवरी कोस्ट
   केन्या
   लेसोथो
   लाईबीरिया
   मालागासी गणतंत्र
   मालावी
   माली
   मारिटिनिया मारिशस
   मोजाम्बिक
   सेंट हेलना और डेप (2)
   साओ टोंगों और प्रिंसिपल
   सेनेगल
   सेचिलीज
   सीयरे लिओन
   सोमालिया
   सूडान
   स्वाजीलेंड
   टेरो, अफर्स और इसस
   टोगो
   यूगान्डा
   तंजानिया गणतंत्र संघ
   अपर वोल्टा
   जाईरे गणतंत्र
   जाम्बिया
   अमरीका उत्तरी और केन्द्रीय
   बहामा
   बरमुडा
   बारबडोस
   बेली
   कोस रीकर
   क्यूबा
   डामिन्कन गणतंत्र
   एल सवाडोर
   गुआडेलोप्पो
   ग्वाटेमाला
   हेटी
   होंडरस
   जमैका
   मारटनिके
   नाईगर
   पुर्तगाल गिनी
   रियुनियन
   रोडेशिया
   रवान्डा
   मैक्सिको
   नीदरलैण्ड एन्टीलीज
   निकारागुआ
   पनामा
   सेंट पियरी और मिक्यलोन
   ट्रिनिडाड और टोबागो

---

(1) करनाडो पी ओ दीप सहित स्पेन गिनी का भतपूर्व प्रदेश

(2) निम्नलिखित दीपों सहित :--एसेंशियन ट्रिस्टेन डा इनएक्से-सिवरस, नाईटिंगेल, गफ।

(3) मुख्य दीप समह, अथवा बोनाब्रे, क्यराकाओ, साहा सेन्ट।

3. अमेरिका उत्तरी और मध्य वेस्ट इन्डीज (नाका) एन. अर्थात्

(क) सह सम्बन्ध राज्य (1)
   (ख) आश्रित (2)

4. दक्षिणी अमेरिका
   अर्जेन्टीना
   बोलिविया
   ब्राजील
   चिली
   कोलम्बिया
   फाल्क लैण्ड द्वीप समह
   फ्रांस गिनी
   गुयाना
   पराग्वे
   पीरु
   सूरिनाम

5. मध्य पूर्वी एशिया
   बहरीन
   इजराईल
   जोर्डन
   लेबनान
   ओमान
   सिरियाई अरब गणतंत्र
   यनाईटिड अरब अमिरात(3)
   यमन अरब गणतंत्र
   यमन जनवादी गणतंत्र (4)

6. दक्षिण एशिया
   अफगानिस्तान
   बंगला देश
   भूटान
   बर्मा
   भारत
   मालद्वीप

नेपाल
पाकिस्तान
श्री लंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया
ब्रूनी
हांग-कांग

5. ख्मेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया

6. पैसिफिक द्वीप का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप, मार्शल द्वीप समूह और मैरिन द्वीप समूह (गामा को छोड़कर)।

(क-2) ओ. पी. ई. सी. सहयोगी देश
अल्जीरिया
बोलिविया
लीबियाई अरब गणतंत्र
गबोन
नाईजीरिया
इक्वेडोर
वेन्जुएला
ईरान
इराक
कुवैत
कतार
साऊदी अरब
आबूधाबी
इन्डोनेशिया

(ख) ओ.ई.सी.डी. देश
आस्ट्रेलिया
बेल्जियम
कनाडा
डेनमार्क
फिनलैण्ड
फ्रांस
फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी
ग्रीस
आईस लैण्ड
आयर लैण्ड
इटली
जापान
लक्जमबर्ग
नीदरलैण्ड
न्यूजी लैण्ड
नार्वे
पुर्तगाल
स्पेन
स्वीडन
स्विटजरलैण्ड
टर्की
इंगलैण्ड
संयुक्त राज्य अमेरिका
फिलीपाईन
सिंगापुर
ताइवान
थाईलैण्ड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओशिनिया
कुक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिस पोलिनेशिया (5)
नारू
न्यू केलेन्डोनिया
न्यू हेब्रिसिस (ब्र. और फ्र.)
नियु
पैसाफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुआ न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (ब्रा.)
टोंगा
वालिस और फतूना
पश्चिमी सामोआ

9. यूरोप
साईप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीस
माल्टा
स्पेन
तुर्की
यूगोस्लाविया

---

(1) मुख्य द्वीप एन्टिक, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेंटक्रिस्टोफो) नोविस-अंगुइला, सेंट लुसिआ और सेंट विसेंट।

(2) मेन आईलैण्ड, मोन्सेसरत, सेमान तुर्क और काईकोस और ब्रिटिश द्वीप समूह।

(3) अजमन, दुबई, फुजीराह, रास अलखेमाह, शारजाह और अमअल कवाईवान।

(4) अदन और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित।

(5) सोसाइटी आई लैण्ड्स समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमोटू, गम्बियर ग्रुप और मारक्यूसस द्वीप समूह।

उपाबन्ध-2

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

संख्या दिनांक

सेवा में
सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
यू. ओ. बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001.

विषय :—ऋन क्रेडिट सं. तथा आई डी पी (1988 के लिए परियोजना सहायता) के अंतर्गत

---------------- को ---------------- का आयात

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट सं. आई डी पी-------------- (परियोजना सहायता) के अधीन ----------------में--------- आयात के संबंध में----------(बैंक का नाम)------------ कि यही होना चाहिए, जो नीचे (ढ) में सम्बद्ध विदेशी संभरक के नाम साखपत्र खोलने के लिए दिया गया है के पत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :--

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता ।

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध हो ।

(ग) अधिप्राप्ति के तरीके----------------क्या वह सीधे क्रय पर आधारित है या औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के आधारित है या इस मामले में कारणों सहित यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपर्युक्त तकनीकी प्रभाव के आधार पर किया गया है ।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण ।

(ङ) माल का उद्गम देश ।

(च) यदि कोई हो, तो पात्र से इतर स्रोत देशों से अंतर्वलित का प्रतिशत ।

(छ) संविदा का कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क/लागत और भाड़ा मूल्य (येन) में

(ज) यदि कोई हो, तो भारतीय एजेन्ट के भी कमीशन की धनराशि (येन में) ।

(झ) वास्तविक जहाज पर्यन्त निःशुल्क/लागत और भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है ।

(ञ) विदेशों के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक ।

(ट) विदेशों के संभरक का नाम और पता ।

(ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथियां जिनको संविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगे ।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि ।

(ढ) बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)

(ण) पोतलदान अनुदेश, वाहनान्तरण/पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं, निर्दिष्ट कीजिए ।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता ।

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई है और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दिया गया है । यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा की संख्या, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अंतर्गत ओ.ई.सी. एफ. को अधिसूचित किया गया है ।

(द) क्या साखपत्र के संचालन और रखरखाव के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्च आयातक द्वारा या संभरकों द्वारा वहन किए जाते हैं ।

(ध) आयातक द्वारा वचनबद्धता :--

"हम एतद्द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से और दर से विदेशी संभरक को किए गए भुगतान के समतुल्य रुपये का पूरा और सही जमा करने का वचन देते हैं। प्रत्येक निक्षेप माल (आयातित सामग्री) की सुपुर्दगी लेने से पूर्व तत्काल ही जमा कर दिया जाएगा । विदेशी संभरकों के संबंधित बीजक हमारे द्वारा अनुमोदित होते ही और उनकी अदायगी करते ही विदेशी राष्ट्रीयता की सेवाओं के लिए भुगतानों के मामले में निवेश कर दिए जाएंगे और संभरकों को भुगतान कर दिया जाएगा ।

उपाबन्ध-3

(प्राधिकारी पत्र का प्रपत्र)

सं.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान) ।

विषय :-येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार सं. आई डी पी -----------------के अधीन आयात साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ दिनांक 25-3-80 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री -----------------के नाम में-------------येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक ओ ई सी एफ भारतीय दूतावास टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए।

3. साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जाएगा । आप ओ ई सी एफ को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करें ।

4. विदेशी संभरक को अदायगी करते समय आपके द्वारा------------------------ (आयातक के बैंक के नाम व पता) मूल पोतलदान दस्तावेज (विनिमय), अतिरिक्त पूर्ण दस्तावेजों के सैट के साथ तथा संभरकों को की गई अदायगी को नामें डालने की सूचना, तत्काल अदायगी, यदि कोई की गई हो, तो उसकी प्रति भेजें।

5. संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से ओ ई सी एफ द्वारा आपको उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि तक के बीच के समय के लिए आपको चुकाए जाने योग्य ब्याज प्रभार भारत सरकार के लेखे पर डाले बिना सामान्य बैंकिंग श्रोतों के माध्यम से भारत में संबंधित आयातक के बैंक के साथ आपके द्वारा निर्णीत किए जाएंगे । बैंकों के अन्य खर्चे जिसमें साखपत्र खोलने, रखरखाव करने और साखपत्रों के संचालन और सौदा संबंधी दस्तावेजों के संचालन से संबंधित और यदि कोई हो, तो विदेशी संभरकों के बैंक के खर्चे भी विदेशी संभरक/आयातक को ही देने पड़ेंगे और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरक/आयातक से प्राप्त किया जाए। इस प्रकार के भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा ओ ई सी एफ से नहीं किया जाएगा ।

6. जैसे ही आपके द्वारा कोई भुगतान किया जाए और उसकी प्रतिपूर्ति आपको कर दी जाए तो उसकी सूचना निर्धारित पत्र में इस मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए ।

7. यह प्राधिकार पत्र विदेशी संभरकों के नाम से साखपत्र खोलने के लिए है। साखपत्र में बाद में किए जाने वाले संशोधन या प्राधिकार पत्र के मुद्दे भविष्य में साखपत्र का मंत्रालय से विशेष प्राधिकार प्राप्त किए बिना वैध नहीं होंगे।

8. यह प्राधिकार पत्र ———————————तक वैध रहेगा।

9. कृपया इस करार से संबंधित सभी पत्राचार और भुगतान का उल्लेख करने वाले सूचना पत्र में इस अनुदेश पत्र के शीर्ष पर दी गई संख्या का उल्लेख करें।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक———————को उसके पत्र सं. ————— दिनांक के ———————————के संदर्भ में।

उनसे अनुरोध है कि बैंकरों से विनिमय दस्तावेजों की डिलीवरी लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने बैंकरों के माध्यम से रुपया निक्षेप आदि जमा कराने का प्रबन्ध करें। यदि विशेष परिस्थितियों के कारण निक्षेप कक्ष डिलीवरी सीधे ही सीमाशुल्क और पत्तन प्राधिकारियों से मूल पोतलदान दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त कर ली गई हो तो डिलीवरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाहिए। विदेशी राष्ट्रीकों द्वारा दी गई सेवा/सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही सम्बद्ध बीजक भुगतान के लिए अनुमोदित हो जाए, निक्षेप कर दिए जाएं। निक्षेप जल्दी ही और ठीक से न करने पर लाइसेंस की शर्तों में यथा उल्लिखित आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

आयातक का बैंकर

2(1) यह आयात लाइसेंस सं. ....दिनांक ....के संदर्भ में है यह प्राधिकार पत्र येन क्रेडिट के अंतर्गत आयातों को शामिल करने वाली संबंधित लाइसेंस शर्तों के तहत जारी किया जाता है। लाइसेंस शर्तें और संबंधित सार्वजनिक सूचनाओं आदेशों को देखें और अपना विदेशी भुगतान करते समय उचित कार्रवाई करें।

2(2) उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को येन भुगतान के बराबर रुपये जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 133-आई टी सी (पीएन)/88-89, दिनांक 6-4-89 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार विदेशी संदेशों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की निश्चित दर पर की जाएगी। प्रथम 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर से और इससे अधिक अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज जो कि संभरकों को भुगतान की तिथि बैंक आफ इंडिया को प्रतिपूर्ति की तारीख और जिस तारीख को समतुल्य रुपया भारत सरकार के लेखों में जमा किया जाए उन दो अवधियों के बीच की अवधि के लिए संगणित करके उसे भी सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पीएन)/83 दिनांक 10-8-83 के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा कराना है। ब्याज दोनों दिनों के लिए देय है अर्थात् वह तारीख जिसको विदेशी संभरकों को भुगतान किया जाता है और वह भी तारीख जिसको भारत सरकार के लेखे में रुपया जमा कराया जाता है। (जब भी इस दर में परिवर्तन किया जाए उसे सूचित कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमाशुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सैट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

3. ये धनराशियों या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक तीस हजारी में चालान के दाहिनी ओर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए। इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना स. 184–आई टी सी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-68 तथा 233–आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-1968, 132–आई टी सी (पीए)/71, दिनांक 5-10-1971, सं. 74–आई टी सी (पी एन)/74 तथा 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12 10-1976 में दिए गए प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है। इस लेखा शीर्ष में रुपया जमा करना है के डिपाजिटस एंड एडवांसिज–8443–सिविल डिपाजिट–डिपाजिटस फार परचेजिज एटसेट्रा अबरोड अण्डर परमेजज अण्डर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंट" लोन फ्रोम द गवर्नमेंट आफ जापान 13.046 बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. आई डी पी 63 फार 1989–90 है।

4. जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली में सार्वजनिक सूचना सं. 132–आई टी सी (पी एम)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाए उन मामलों में चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजनी चाहिए, जिसके साथ बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणियों का पूर्ण विवरण देते हुए एक अग्रेषण....

सूचना टिप्पणियों का पूर्ण विवरण देते हुए एक अग्रेषण पत्र होना चाहिए।

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग),
बीडिंग, 5वां तल, जनपथ भवन
नई दिल्ली।

5. जिन मामलों में मुल्य ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामले में, जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

6. संभरक को भुगतान करने की तिथि और ओ ई सी एफ द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय ब्याज प्रभार बैंक सूत्रों के माध्यम से भारत सरकार के लेखे पर प्रभार डाले बिना बैंक आफ इंडिया, टोकियो के साथ ब्याज के द्वारा सीधे निर्धारित किए जाएंगे।

(7) संभरक की की जाने वाली प्रत्येक अदायगी, मूल प्रलेख चाहे वह वाणिज्यक बीजक, बैंक गारन्टी, कार्य निष्पादन गारंटी, पोत परिवहन इत्यादि के लेन-देन संबंधी सैट ही क्यों न हों को उपर्युक्त (2) और (3) पर कार्यवाही न की जाए तो आयातक को उन्हें रिलीज न किया जाए।

(8) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत वितरक के रूप में बैंक के कर्तव्यों और जिम्मेवारियों को भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न ए. डी. परिपत्रों में निर्धारित किया गया है। इस संबंध में 18-6-77 के ए. डी. परिपत्र सं. 22 के विशेष संदर्भ की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(9) इस पत्र की पावती भेजी जाए और भावी पत्राचार में संदर्भ इत्यादि को दर्शाया जाए।

3. निदेशक, ऋण विभाग – 2 विदेशी सहयोग निधि टाकेवासी गोडो बिल्डिंग 4 – 1 ओहटेमासी – 1 कोमे, चियोडाकू, टोकियो 100, जापान।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली। लेखाधिकारी

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत और इसकी शर्तों के अनुपालन में हमारे नाम में भेजे गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशितों को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से उल्लेख न किया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टर एंड प्रेक्टिस फार डाकूमेंटरी क्रेडिटस (1947 रिवीजन) इण्टरनेशनल चम्बर ग्राफ कामर्स, पब्लिकेशन सं. 290 के अधीन है।

लेन-देन करने वाले बैंक के लिए विशेष ग्रनुदेश

1. उपर्युक्त ऋण करार के अन्तर्गत विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा जारी किए गए वचनबद्धता पत्र की व्यवस्थाओं के ग्रनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्रज्ञपन करने के बाद हम वचन देते है कि हम लेन-देन करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार ड्राफ्टों की धनराशि को लौटा देगें।

2. लेन-देन करने वाले बैंक को यह बताते हुए हमें ड्राफ्ट और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और उसके साथ एक प्रमाण पत्र अवश्य भेजने चाहिए कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा ---------- को भेज दिए गए है।

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्चे आयातक स्पंरक के खाते से देय हैं।

भवदीय,

( )

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा ----------

प्राधिकृत हस्ताक्षर

उपाबन्ध

प्रपत्र ओ. ई. सी. एफ. एल. सी. – 1

अपरिवर्तनीय साखपत्र

(माल के लिए लागू)

दिनांक

सेवा में

यह साखपत्र (ऋण) और विदेशी सहयोग निधि के बीच हुए ऋण करार सं. ----------दिनांक ----------

के अनुसरण में जारी किया गया है।

महोदय,

हम आपको सूचित करते है कि हमारे नाम में भेजे गए आपके पूरे बीजक मूल्य के लिए आप के साइट ड्राफ्टों द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने आपके पक्ष में अपरिवर्तनीय साखपत्र सं. ---------- खोल दिया है जो ----------(अर्थात येन) की कुल धनराशि से अधिक नहीं जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों होने चाहिए :—

हस्ताक्षरित पूर्ण वाणिज्यिक बीजक, पोत परिवहन
निबन्ध लदान बिल जिसमें दिए गए आदेशों का पूरा
सेट हो, ब्लेक पृष्ठांकित एवं चिन्हित एवं नोटिफाई" अंकित किए
हुए अन्य दस्तावेज।

जल में पोतलदान (माल के लदान का संक्षिप्त विवरण) को प्रमाणित करते हुए संविदा सं. ----------(यदि कोई हो) के संदर्भ में---------- से ----------तक आंशिक पोतलदान स्वीकृत है। वाहनांतरण स्वीकृत है। ड्राफ्ट बिल ---------- लेन-देन के लिए अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस ऋण के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट तथा दस्तावेजों पर "अपरिवर्तनीय साखपत्र सं. ---------- दिनांक ---------- के अन्तर्गत आहरण किया गया और आयात संदर्भ सं. ---------- संख्यांग, यदि कोई हो) अंकित होना चाहिए।

यह क्रेडिट हस्तांतरण नहीं है।

उपाबन्ध - 5

परिपत्र ओ ई सी एफ एल सी - 2

अपरिवर्तनीय साख पत्र

(सेवाओं के लिए लागू)

दिनांक

सेवा में

----------यह साखपत्र (ऋणी और विदेशी ----------आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण करार सं. ---------- ----------दिनांक ---------- के अनुसरण में जारी किया गया है।

(संभरक का नाम और पता)

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते है कि हमारे नाम पर पूर्ण उल्लिखित मूल्य के लिए हिताधिकारी के ड्राफ्ट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम जिसकी कुल धनराशि ----------(येन से अधिक नहीं है, के लिए आवेदक के नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं. ---------- खोल दिया है।

इसमें इसके साथ संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित परियोजना के संबंध में ठेका सं. ---------- से संबंधित दस्तावेज होने चाहिए। लेन देन के लिए ड्राफ्ट ---------- - से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर "अपरिवर्तनीय क्रेडिट सं. ------ के अन्तर्गत ड्राफ्ट लिखा होना चाहिए।

यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है।

हम एतद्द्वारा वचन देते है कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशितों को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत स्वीकार किए जाएं।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक उल्लेख न किया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाक्यमेंटरी क्रेडिटस (1974 डिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर ग्राफ कामर्स ब्रोशर नं 290 के अधीन है।

लेन-देन करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश :-

1. इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत अधिकारी) द्वारा जारी किये गये निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात इस क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किये जाने चाहिए। प्रारम्भिक भुगतानों के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाए अधिकारी का विवरण अपेक्षित है।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचनबद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम लेन-देन करने वाले बैंक द्वारा जारी किये गए अनुदेशों के अनुसार ड्राफ्टों की राशि परेषित करने का वचन देते हैं।

3. उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेजों की एक प्रति और ड्राफ्ट उनकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही हमें भेजे जाएंगे।

1. इस साखपत्र के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्चे आयातकों/संभरकों के खाते में देय हैं।

भवदीय,

वाणिज्यिक बैंक
द्वारा ----------
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र संख्या ---------- का एक अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि ----------येन
जो कुल संविदा मूल्य का ---------- प्रतिशत है।
अपेक्षित दस्तावेज : हिताधिकारी का विवरण
प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :

2. भुगतान प्रगति

सम्पूर्ण योग : धनराशि ----------येन
जो कुल संविदा का मूल्य ----------अप्रतिशत है जिसका भुगतान निम्न प्रकार से किया जाना है :—

देय धनराशि	प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
पहली किस्त, येन ----------	----------
दूसरी किस्त, येन ----------	----------
----------	----------

क्षित दस्तावेज : (ऋण अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किये गए निष्पादित के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है।

निष्पादन का विवरण
दिनांक
संदर्भ

सेवा में

(संभरक का नाम और पता)

संदर्भ :- ऋण करार सं. ---------- के अन्तर्गत---------
परियोजना से संबंधित ---------- के नाम से-----
येन के लिए ----------द्वारा जारी किए साखपत्र की सं. ---------- दिनांक ----------
(ऋणी) का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं अधोहस्ताक्षरी और -----
---------- के बीच संविदा सं. ----------

दिनांक ----------में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहायता निधि द्वारा ---------- येन की धनराशि (---------- येन मात्र) प्राप्त करने के लिए ---------- को प्राधिकृत करने के लिए निष्पादन विवरण जारी करता है।

(ऋणी)
द्वारा ----------
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विषय अनुवेश :—

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा।

भुगतान शर्तें

यह भुगतान शर्तें हमारे साखपत्र सं. ---------- का एक अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान
धनराशि ----------येन
कुल संविदा मूल्य का ----------प्रतिशत है।
अपेक्षित दस्तावेज :
अंतिम भुगतान तिथि :

2. मध्यस्थ भुगतान (यदि कोई हो)
धनराशि ----------येन
कुल संविदा मूल्य का ----------प्रतिशत है।
अपेक्षित दस्तावेज :
प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :

3. पोत परिवहन दस्तावेजों के मद्दे भुगतान
धनराशि ----------ये
कुल संविदा मूल्य का ----------प्रतिशत है।

टिप्पणी :— यह संलग्न शीट पोत परिवहन दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामलों में अपेक्षित नहीं है।

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 147-ITC(PN)|90—93

New Delhi, the 24th April, 1991

Subject.—Licensing conditions in respect of import of equipment and services under the Yen Credit Loan No. ID-P.63 dated 27-3-1990 for Yen 13.046 Billion for the Gandhar Gas Based Combined Cycle Power Project (I) of NTPC extended by the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan—regarding.

File No. IPC|23(72)|90—93.—The terms and conditions governing the licensing conditions for import of Equipment and Services under the Yen Credit Loan for Yen 13.046 Billion for The Gandhar Gas Based Combined Cycle Power Project (I) of NTPC extended by the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan, are contained in the Appendix to this Public Notice and are notified for information.

D. R. MEHTA, Chief Controller of Imports and Exports.

APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 147-ITC(PN)|90-93, DATED 24-4-91

LLCENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORT OF EQUIPMENT AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT LOAN NO. ID-P.63 DATED 27-3-90 FOR YEN 13.046 BILLION FOR THE GANDHAR GAS BASED COMBINED CYCLE POWER PROJECT (I) OF NTPC EXTENDED BY THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (OECF) OF JAPAN.

Section I—General Conditions

I (i) The Yen Credit of Yen 13.046 Billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Gandhar Gas Based Combined Cycle Power Project (I) of NTPC is untied in favour of Japan, developing countries (including India) and all member countries of OECD. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be procured from Japan and all countries (including India) enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I (ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD|CF Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Yen 14.350 Billion (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the Exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)|71 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P.63". The first and second suffix to the licence code will be "S|JC". This will also be repeated in the letter from CCI&E forwarding the import licence to NTPC a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Japan Section).

I (iii) Import licence(s) can be issued only in favour of NTPC.

I (iv) Depending on the convenience of importer more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed Yen 14.350 billion (CIF) as specified at (ii) above.

I (v) The extension of the validity of the import licence, may on application by importer, be granted upto a further period of 12 months. Any request for further extension| issue of a fresh import licence may be referred to the Department of E. A. (Japan section).

I (vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian Rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (viii) Firm order must be placed on FOB|C&F basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Insurance charges will be payable in India in Indian Rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian Licencee on the Overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and|or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerning licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the Licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licencee. Only on production by the licencee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will be authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

".....Months after the receipt of Letter of Credit but to be completed latest by the end of.....".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-10-94.

Section II—special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II (i) The FOB|C&F value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency.

The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) Procurement of all goods and services to be finance out of the proceeds of the loan shall be made in accordance with the guidelines for procurement under the loan with the following supplemental stipulations :—

(a) In case of procurement of goods and services of value estimated to be not less than 500 million Yen.

(i) Prior approval of OECF shall be obtained if it is proposed to adopt procurement procedure other than the Open International Tendering with Prequalification, submitting to OECF an application for approval of procurement method.

(ii) Prior to issuing a notice of award to successful bidder, the application for approval of award with bid evaluation report shall be submitted to OECF for review concurrence. Alongwith the above application for approval of award and bid evaluation, the documents etc. will also be submitted to OECF for its reference to OECF for its review.

(b) In case of procurement of goods and services of value estimated to be less than Yen 500 million prior approval of OECF is not required for award of contract.

However, if OECF requests, the tender evaluation reports etc. will be submitted to OECF for its review.

(c) When consulting firms are employed, such firms shall satisfy all of the following condition :

(i) A majority of the subscribed shares shall be held by nationals of the Eligible Source Countries.

(ii) A majority of the full-time directors shall be nationals of the Eligible Source Countries;

(iii) Such firms shall be incorporated and registered in the Eligible Source Countries.

(d) Prior approval of OECF shall also be obtained of the following documents for employment of the consultants :

(i) Terms of Reference.

(ii) Short List of Consultants.

(iii) Letter of Invitation.

(iv) Evaluation Report including summary Evaluation Sheet.

(e) The following declaration as to the eligibility of the Consultant, signed and dated by the Consultant, shall be attached to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that (name of firm) has been incorporated and registered in———— (name of the Eligible Source Country concerned), and is an eligible consulting firm,————percent(%) of the subscribed shares being held by nationals of————(name of the Eligible Source Countries concerned) and———— ————percent (%) of the fulltime directors being nationals of———— (name of the Eligible Source Countries concerned)".

(f) The application documents mentioned in (a)(i), (a)(ii), (b) and (d) above will be submitted by the importer to Department of E.A., in duplicate, for submission to OECF.

II(iii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 63 for 1989-90 the details of which are given in Section VII below.

II(iv) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(v) Eligibility of Supplier.—The Suppliers shall be nationals of the eligible source countries, or jurisdical persons incorporated and registered in eligible source countries and which have their appropriate facilities for producing or providing the goods and services in the Eligible Source Countries and actually conduct their business there.

II(vi) Permissible imports from non-eligible source countries.—Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than fifty percent (50%) of the price per unit of such products in accordance with the following formulae :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty} \times 100}{\text{Supplier's FOB Price}}$$

(in case of Indian Supplier, Ex-factory Price shall be adopted)

II(vii) Declaration in Contract.—The following declaration as to the eligibility of the goods and supplier, signed and dated by the supplier, shall be added to each contract.

"I the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in———— (name of eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than fifty percent (50%) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty} \times 100}{\text{Supplier's FOB Price}}$$

(Where applicable Ex-factory Price)

"I, the undersigned, hereby certify that———— (Name of company) has been incorporated and registered in———————— (name of eligible source country), has its appropriate facilities for producing or providing the goods and services in (name of Eligible Source Country) and actually conducts its business there.

Section III—Conditions to be incorporated in the embodied in the supply contract :

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 27th March, 1990 concerning the Yen Credit No ID-P63 (Project Aid) for the Gandhar Gas Based Combined Cycle Power Project (I) of NTPC.

(b) Payments to the Supplier shall be made through an irrevocable letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P63 dated 27-3-90 between the Government of India and the Overseas Economic Corporation Fund of Japan (OECF).

(c) The suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vii) above.

(e) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese Supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India atleast six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian Importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the impoter after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV : Review of Contract by OECF

IV(i) Within stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signd by both the importer and the supplier supported by order confirmation in writing by the supplier or their photocopies complete in all respects, together with two photocopies of the relevant and valid import licence and two copies of the "Request for issue of L.A." in the form in Annexure II to the Department of Economic Affairs.

IV(ii) The above procedure will also supply to all contract amendments causing essencial modifications to the contents of the contracts or in its price.

IV(iii) The Ministry of Finance (Deptt. of EA) will send Notice of conclusion of Contract alongwith a copy of the contract to OECF for its review. A copy each of the Notice of Conclusion of Contract accompanied by the contract will also be sent by Department of E.A. to Embassy of India, Tokyo and Office of CAA&A alongwith one copy each of "Request for issue of L.A." and photocopy of import licence.

Section V—Payment to the Overseas suppliers—Letter of Credit Procedure.

V(i) On receipt of the Notice of Conclusion of contract and contract document from the Ministry of Finance, Deparment of Economic Affairs, the CAA&A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-III addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached at Annexure-IV for imports) or Annexure-V (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-IV (applicable to imports) or V (applicable to services) in favour of the Overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA&A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo which will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V(iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the letter of credit, for negotiations there-under and charges if any of overseas suppliers' bankers are to be borne by the importer/overseas suppliers. A letter of commitment will be issued by the OECF on receipt of an amount equal to one-tenth per cent (0.1%) of the contract value. This amount will be paid to itself from the loan/funds by OECF.

The importer is required to deposit into the Govt. of India account the rupee equivalent of this letter of commitment charges on receipt of intimation of the payment from OECF or from the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance. Interest from the date of payment to the OECF to the date of rupee deposit (both dates inclusive) at prevailing rates will also have to be paid by the importer.

A similar charge of 0.1% is payable by the importer under the reimbursement procedure also. Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas suppliers to the date of reimbursement by the OECF, shall be settled by the concerned importers bank of India by remittance to the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

V(v) Reimbursement procedure —Procedure for disbursement of the proceeds of the loan for the purchase of goods and services from Indian Suppliers shall be in accordance with REIMBURSEMENT PROCEDURE attached to the loan agreement.

Section VI—Responsibility for rupee deposit

VI(i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S.B.I., Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee-equivalents of the Yen payments calculated at the rate prevailing from time to time, the present rate being 12% per annum for the first 30 days and @ 18% per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Overseas Supplier to the date of actual rupee deposit, have also to be deposited alongwith the principal payment, in terms of public Notice No. 31-ITC (PN)|83 dated 10-8-83. It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Supplier and also the day on which rupee deposit is made in Government Account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-76 and Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-83.

The importer should made separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the supplier. Late or delayed receipt of shipping etc. documents by the importers Bankers from Bank of India, Tokyo will not be acceptable as reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notice No. 113-ITC(PN)|88-91 dated 6-4-89 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control circulars of the Reserve Bank of India.

Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amount due are correctly deposited into Government account before the import documents are handed over to the importers. The importers should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government accounts before taking delivery of the documents from their Bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amount due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. In case the importers fail to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further IAS to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-8443-civil Deposits-Deposits for purchase etc abroad-Purchase under credits|Loan Agreements" Loans from the Government of Japan 13.046 billion Yen credit No-ID-P-63 for the Gandhar Gas Based Combined Cycle Power Project (I) .

VI(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices issued from time to time in this regard.

VI(iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers|their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury challans :—

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note :—Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice

of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits or the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VIII—Miscellaneous provisions

VIII(i) Reports on utilisation of the import licence.—The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, B-Wing, 5th Floor Janpath Bhavan, New Delhi.

VIII(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.—The licences should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may effect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII(iii) Disputes.—It should be understood that the Government of India, will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-II under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII (iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P63 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII (v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII (vi) List of Annexures:

Annexure-I	List of eligible source countries.
Annexure II	Request for issue of Letter of Authority
Annexure III	Form of Letter of Authority
Annexure IV	Form of Letter of Credit (Applicable to imports).
Annexure V	Form of Letter of Credit (Applicable to Services)

ANNEXURE I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. Developing Countries and Territories

(a1) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara
Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara
Angola
Benin
Botswana
Burundi
Camereon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of Dahomay
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep (.)
Sao Tomo and Principle
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro, Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. AMERICA North and Cont.

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Ricea
Quba
Dominican Republic
EL Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martiniquo
Mexico
Netherlads An Tilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Mipuelon
Trinidad and Tobago

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernaudo PO.

(2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gouh.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St.

III. AMERICA, North & Central
West Indies (Br.) n. i.e.
(a) Associated States (1)
(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guinea
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East
Baharain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R.(4)

VI. ASIA, South
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East
Brunei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. of
Viet-nam, Dem. Rep.

VIII. OCEANTLA
Cook Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Calendonia
New Hebrices (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. EUROPE
Cyprus
Gibralter
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

1. Nain Islands: Antique, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

2. Main Islands: Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

3. Ajman, Dubai, Fugairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.

4. Including Aden and various sultanates and emirates.

5. Comprising the Society Islands (including Tahiti) The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

6. Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam.)

(a2) Member of Association Countries of OPEC
Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

B. OECD Countrels
Australia
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
The Federal Republic of
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
the Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain

Sweden
Switzerland
Turkey
U.K.
U.S.A.

ANNEXURE—II

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No. Date:

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Prliament Street,
New Delhi-110001.

Sub: Import of from Japan under the Yen Credit No. IDP (Project Aid for 1989-90)

Sir,

In connection with the import of from under the above mentioned Yen Credit No. IDP (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the

(name of the Bank) which should be the same as given in (b) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase of formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

(g) Gross FOB/C&F value of the contract (in Yen).

(h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.

(i) Net FOB/C&F value (in Yen) for which the Letter of Authority is required.

(j) Number and date of the contract with overseas suppliers

(k) Name and address and nationality of the Overseas Supplier.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).

(p) Name and address of the importer's bank in India.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No. date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the OECF.

(r) Whether the banking charges payable to Bank of India, Tokyo for operation and maintenance of Letter of Credit are to be borne by the importers/or Supplier.

(s) Undertaking by the importer:—

"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc. of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the payments made to the suppliers)."

ANNEXURE—III

(Letter of Authority Form)

No.F.
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject: Import under Yen Credit (Project Aid) Loan Agreement No. ID-P. Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated———————entered into with your Bank, you are hereby authorised to open irrevocable letter of credit for an amount not exceeding Yen———————favouring M/S———————as per attached details.

2. A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank, to the OECF, Embassy of India, Tokyo and to us.

3. Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

4. On making payment to the foreign supplier you should send to ———————
(Name & address of importer's Banker) the original shipping documents (negotiable) as well as additional complete set of the documents and a copy of the debit advice for the payments made to the supplier including the down payment if any.

5. Interest charges payable to you, for the time lag between the date of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement to you by the OECF, shall be settled by you with the concerned importers bank in India through normal banking channels without affecting the Government of India's account. The other banking charges including those on account of opening maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Supplier/Importer and

may, therefore, be recovered from the Supplier/Importer directly. No reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

6. As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

7. This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

8. This letter of Authority will remain valid upto———

9. Please quote the number given at the top of this letter of instruction in all correspondence relating to the contract and also in the advices showing payment.

Yours faithfully
(Accounts Officer)

Copy forwarded to:—

1. Importer————————with reference to their letter No. ————————dated————————

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities *without furnishing the original shipping documents* the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the Licensing Conditions.

2. Importers Banker (i) This has reference to import licence No.———— dt. ———— This letter of authorisation issued under the relevant Licensing conditions *governing the imports under Yen credit.* The Licensing conditions and connected Public Notice/order etc. may be referred to and appropriate action taken concerning the import/foreign payments.

(ii) They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas suppliers in accordance with *the Public Notices No. 113-ITC* (PN)/88-91 dated 6-4-89 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @12% per annum for the first 30 days and at the rate of 18% per annum for the period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier/date of reimbursement to Bank of India and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Govt. account is also required to be deposited into Govt. of India account in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-83. The interest is payable for both days i.e. the day on which payment is made to the Overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Govt. account (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

(iii) These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Codo No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or the SBI, Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184—ITC(PN)/68 dated 30-8-68, 233—ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74—ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103—ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is "K—Deposits & Advances—8443—Deposits-Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements"—Loans from the Government of Japan 13.046 billion Yen Credit (project aid) No. ID-P. 63 for 1989-90.

(iv) One copy of the challan in original, in cases where th rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132—ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry Finance (Department of Economic Affairs), B-Wing, 5th Floor, Janpath Bhavan, Janpath, New Delhi.

(v) In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

(vi) Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the time lag between the date of payment to the supplier and the date of its reimbursement to the Bank of India, Tokyo by the OECF shall be settled directly by you with the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

(vii) For each payment made to the supplier, the original documents (whether commercial invoice, bank guarantees, performance guarantees, negotiable sets of shipping documents etc.) should not be released to the importer till action as at (ii) and (iii) above has been taken.

(viii) The Bank's duties and responsibilities as authorised dealer in Foreign Exchange are prescribed in various A.D. circulars of the Reserve Bank of India. Specific reference in this regard is invited to A.D. Circular No. 22 dt. 18-6-77.

(ix) The receipt of this communication may be acknowledged and reference etc. for future correspondence may be indicated.

3. The Director Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary Japan Section, Ministry of Finance Department of Economic Affairs, New Delhi.

(Accounts Officer)

ANNEXURE- IV

Form OECF—LC 1

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for goods)
Date:

To

————————This letter of Credit has been issued pursuant to Loan

————————Agreement No.
Dated
between (Borrower) and The Overseas Economic Cooperation Fund.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.————in your favour for account of———— for a sum of sums not exceeding an aggregate amount of———— ————(Say yec) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents:

Signed commercial invoice in full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight and Notify" Other documents

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No.————(if any) from————To————Partial shipments are permitted. Transhi ment is———— permitted. Bills of lading must be dated not later than Drafts must be presented for negotiation not later than

All Drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under————irrevocable credit No.———— dated————and Import Reference No. (s)———— (if any)

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentations and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290."

ANNEXURE—V

Form OECF—LC II

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for Services)

To
————————
————————
(Name and address of the Supplier)

Date :
This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.
dated
between (Borrower) and The Overseas Economic Cooperation Fund.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.———— ———— in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an agreegate amount of (Say Yen) available by beneficiarys's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No with regard to Project) Drafts must be presented for negotiation not later than

All drafts and documents must be marketed "Drawn under irrevocable credit No."

This credit is not transferable

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of document to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. Incase of the initial payments the beneficiary's Statement is required instead of the above mentioned Statement of Performance.

2. After obtaining the reimbursement for our payment from the OVERSEAS ECONOMIC COPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accrcordance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the documents as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.

4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,
(a commercial bank)
By : (Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No ————

I. Initial Payments

Amount :γ ————
being ————%of the total contract price

Required documents : beneficiary's Statement

Latest presentation date :

II. Progress Payment

Aggregate amount : γ————
being % of the total contract price to be paid as follows

	Amount due	Latest presentation
	————	————
1st Instalment :	γ————	————
2nd Instalment :	γ————	————
....	....	....

Required documents : A copy of State of Performance issued by (Borrower or its designaated authority) a form of which is attached hereto,

Statement of Performance

Date :

Ref. No.

To
————————
————————
(Name and address of the Supplier)

Re : Letter of Credit No.— ——————dated
issued by ————————
for ———————— in favour of concerning———

————————————————————

Project under Loan Agreement No.——————

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle————————to receive the sum of γ——————— (Yen only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No.—————————dated——————————— between ————————————and ——————————————

————————————
(Borrower)

By ————————————
(Authorised Signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our letter of Credit No.——————————————

I. Initial Payment

Amount : γ——————————————————
being ——————% of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate payment (if any)

Amount : γ ————————————————
being ——————% of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount : γ ——————————————————
being ——————% of the total contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991